न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट रानीखेत, जिला अल्मोडा।
फौ0 वा0 सं0–284/2022
सरकार बनाम पान देव जोशी

09.06.2023: वाद पुकारा गया। पत्रावली प्रस्तुत।

अभियुक्त पान देव जोशी अपने विद्वान अधिवक्ता श्री सी0पी0पाण्डे के साथ न्यायालय में उपस्थित है। वादिनी मुकदमा श्रीमती हंसी जोशी न्यायालय के द्वारा जारी नोटिस पर न्यायालय में उपस्थित है। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मीना खान न्यायालय मे ंउपस्थित है।

पत्रावली वास्ते वादी मुकदमा की आख्या/सुनवाई हेतु नियत है

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना की दिनांक 16.06.2023 को अभियुक्त की पत्नी का वार्षिक श्राद्व है, जिसमे ंअभियुक्त का पुत्र अपने घर आने वाला है, अभियुक्त अपने पुत्र को रिपोर्टर के साथ पारिवारिक विवाद निपटाने हेतु प्रयास करेगा, जिससे उक्त मामले का समाधान हो जाये। उक्त मामलें में आपसी सुलह समझौता हेतु समय प्रदान करने की प्रार्थना की गयी। वादी मुकदमा श्रीमती हंसी जोशी द्वारा मौखिक रूप से उक्त मामले में समय प्रदान करने की प्रार्थना की गयी। प्रार्थना पत्र पर सुना। सुलह समझौता/वादी मुकदमा की आख्या हेतु दिनांक 24.06.2023 की तिथि नियत की जाती है।

पत्रावली दिनांक 24.06.2023 को वास्ते सुलह समझौता/वादी मुकदमा की आख्या हेतु पेश हो।

(जसमीत कौर)
सिविल जज/ न्यायिक मजिस्ट्रेट
रानीखेत।